हिंदू समाज को तोड़ने का गहरा षड्यंत्र 10
क्या विभाजन अनिवार्य था 13
मोहर्रम पर लगा प्रतिबंध 14

राष्ट्रीय विचारों का पाक्षिक

₹10

पाथेय कण

श्रावण कृ.12, वि.2081, युगाब्द 5126, 1 अगस्त, 2024

39 वर्षों से निरंतर

भारत सरकार द्वारा 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित

कुर्सी बचाने के लिए बदल दिया था संविधान

www.patheykan.com

patheykan@gmail.com @patheykanofficial @patheykanofficial @patheyofficial1 @patheykan

महाराणा प्रताप : क्षत्रिय सिसोदिया राजवंश के शासक

इतिहास में अमर है जिनका नाम वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए

■ के. छगनलाल बोहरा

महावीर प्रतापी रघुकुलभूषण महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, सूर्यवंशचूड़ामणि, महिमहेन्द्र आर्यकुलकमलदिवाकर, भगवान राम के वंशज, सूर्यवंशी, क्षत्रियराजकुलशृंगार हिंदुपति महाराणा प्रतापसिंह जी सिसोदिया हिन्दुआ सूरज उदयपुर मेवाड़

पिता- महाराणा उदयसिंह जी

माता- महारानी जयवंताबाई (सोनगरा)

जन्म -विक्रम संवत् 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तदनुसार 9 मई,1540 ई. कुंभलगढ़

राजतिलक - विक्रम संवत् 1628 फाल्गुन पूर्णिमा तदनुसार 28 फरवरी, 1572 ई. गोगुन्दा

हल्दीघाटी युद्ध - विक्रम संवत् 1633 आषाढ़ कृष्ण सप्तमी, सोमवार 18 जून, 1576 ई. हल्दीघाटी खमनोर

दिवेर युद्ध में विजय - विजयादशमी विक्रम संवत् 1640, 16 सितम्बर, 1583

देवलोक - विक्रम संवत् 1653 माघ सुदी एकादशी तदनुसार 19 जनवरी, 1597 ई. चावण्ड

माई एहड़ा पूत जण जेहड़ा राणप्रताप

धीर, वीर, गंभीर, उदार, उच्च मानवीय गुणों के भण्डार, शौर्य और स्वदेशाभिमान से परिपूर्ण निर्भीक सर्वप्रिय, कुशल संगठक, त्यागी, जननायक, राजसन्यासी, स्वतंत्रता और देशभक्ति के अद्वितीय उदाहरण, सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ हिंदुशासक सूर्यकुल व क्षत्रिय कुल के महाराणा प्रताप को पाकर यह मेवाड़ धरा धन्य हो गई।

अणदागल असवार रहियो राण प्रतापसिंह

समस्त भारत के स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्तों की आस्था के केन्द्र महाराणा प्रताप ने कठिनाईयों और संघर्षो का कण्टकाकीर्ण मार्ग स्वेच्छा से स्वीकार किया परन्तु कभी अकबर की अधीनता तो दूर उसके लिए बादशाह शब्द तक प्रयोग नहीं किया, सदैव तुर्क नाम से ही पुकारा -

''तुर्क कहासि मुखपतों इण मुखसूं इकलिंग।''

मेवाड़ो तिणमाह पोयण फूल प्रतापसिंह

स्वार्थ और सुख-सुविधाओं के वशीभूत, आत्माभिमान और कुलगौरव से शून्य अनेक राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता अकबर के हाथों बेच दी, शर्मनाक शर्तों के तहत बहन-बेटियां तक देना स्वीकार कर लिया। ऐसे विकट समय में जब अधिकांश भारत मुगल शासन के समुद्र में डूब रहा था, महाराणा प्रताप कमल के समान उस जल के ऊपर खिले हुए थे।

हाथ न लागो एक पारस राणा प्रताप सिंह

सारी शक्ति झोंक कर अनेक बार प्रयास करने पर भी अकबर जिन्हें अपने

अधीन नहीं कर सका, सारे विश्व के स्वतंत्रता प्रेमी, स्वदेशाभिमानी वीर पुरुष जिस व्यक्तित्व से प्रेरणा पाते हों, उस वीर शिरोमणी प्रात:स्मरणीय हिन्दुआसूर्य महाराणा प्रताप को शत शत नमन।

दिवेर युद्ध में विजय

16 सितम्बर, 1583 को दिवेर में मुगलों पर आक्रमण कर निर्णायक विजय प्राप्त की। अकबर ने फिर कभी महाराणा प्रताप की ओर मुड़कर भी देखने की हिम्मत नहीं की। अगले 10 वर्षों तक निष्कंटक होकर मेवाड़ में सुशासन स्थापित किया।

- लेखक भारतीय इतिहास संकलन योजना, राजस्थान के क्षेत्रीय संगठन सचिव हैं।

पाथेय कण

श्रावण कृष्ण 12 से श्रावण शुक्ल 10 तक विक्रम संवत 2081 युगाब्द 5126
01-15 अगस्त, 2024
वर्ष : 40 अंक : 9

सम्पादक : रामस्वरूप अग्रवाल
सह सम्पादक : मनोज गर्ग
प्रबंध सम्पादक : ओमप्रकाश
सह प्रबंध सम्पादक : श्याम सिंह
अक्षर संयोजन : कौशल रावत

प्रबंधकीय कार्यालय
'पाथेय भवन' 4, मालवीय संस्थानिक क्षेत्र, अग्रसेन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान)
E-mail : patheykan@gmail.com

पाथेय कण संस्थान के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक: माणकचन्द

सहयोग राशि
एक वर्ष 150/-
पन्द्रह वर्ष 1500/-

पाथेय कण प्राप्त नहीं होने पर प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक संपर्क करें- 79765 82011 इसके अतिरिक्त समय में वाट्सएप व मैसज करें अथवा ईमेल पर जानकारी दें। (अति आवश्यक होने पर मो.न. 9166983789 पर मोहित जी से संपर्क कर सकते हैं)

इंदिरा गांधी के कृत्य संविधान की हत्या से कम नहीं थे

12 जून, 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को रद्द कर दिया था। उनको चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। उन्हें बतौर सजा अगले छः वर्ष तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

इंदिरा गांधी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थी। कानून कहता था कि वह पद पर बनी नहीं रह सकतीं। एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया था देश में।

बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को आपातकाल का सुझाव दिया। 25 जून की रात आपातकाल की घोषणा हुई। विरोधी दलों के नेताओं को धड़ाधड़ पकड़ा जाने लगा। 26 जून की सुबह 6 बजे तक गिरफ्तार किए गए नेताओं की संख्या 9 हजार 800 तक पहुँच गई थी। किसी भी व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं। देश की पत्रकारिता पर पूर्णतः सेंसरशिप लगा दी गई। कुछ भी छापना है तो पहले सेंसर अधिकारी से स्वीकृत कराओ। उस समय सूचना प्रसारण मंत्री रहे गुजराल ने थोड़ा विरोध प्रकट किया तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इंदिरा जी उनकी जगह वीसी शुक्ला को ले आई।

उन दिनों कैसा भयावह माहौल हो गया था पूरे देश में! इंदिरा का बेटा संजय बिना किसी पद पर रहते हुए सरकारी अधिकारियों को घर बुलाकर आदेश देने लगा। हजारों लोगों को जहां-तहां पकड़कर उनकी जबरन नसबंदी कर दी गई। इनमें बहुत से कुंवारे भी थे। घरों में से पकड़कर, बसों से उतारकर और लोभ-लालच देकर भी नसबंदी की गई। बताते हैं कि उन दिनों 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी की गई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने स्वयं असाधारण शक्तियां प्राप्त कर ली थी। आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम 'मीसा' संशोधित कर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही हिरासत में रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया। संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा एक प्रकार से पूरे संविधान को बदल दिया गया। न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों को प्रताड़ित किया जिन्होंने सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं दिया था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रभक्त संगठनों पर प्रतिबंध लगा कर प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। किशोर कुमार, देव आनन्द जैसे फिल्मी कलाकारों को सरकारी योजनाओं के गुणगान में सहयोग नहीं करने पर प्रताड़ित किया गया।

उस समय आज की तरह न तो टीवी चैनल थे, न ही सोशल मीडिया था। मोबाइल तो आए ही नहीं थे। खबरों के लिए समाचार पत्र होते थे या फिर आकाशवाणी (सरकारी रेडियो स्टेशन)। आकाशवाणी को कांग्रेस का भोंपू बना दिया। लोकतंत्र के चारों स्तंभों को लकवाग्रस्त कर दिया।

एक लाख से अधिक लोगों को असंवैधानिक और अमानवीय तरीके से 19 माह तक जेल में बंद रखा गया।

आपातकाल के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निर्णय हुआ। 4-4,5-5 के जत्थों में लोग सत्याग्रह करते। सबसे अधिक सत्याग्रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। यह अलग कहानी है।

देश में पहले भी दो बार आपातकाल लगाया गया था। पहला चीनी आक्रमण के समय 1962 में। दूसरी बार 1971 में भारत-पाक युद्ध के समय। वे दोनों आपातकाल देश की सुरक्षा के लिए थे। देश पर आक्रमण हुआ था। उन दिनों भी कुछ मौलिक अधिकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निलंबित किए गए थे। परंतु इस नियम का दुरुपयोग नहीं हुआ।

इंदिरा जी ने 1975 में देश के हित में आपातकाल नहीं लगाया। अपने हित में, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल लगाया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्वाधीन भारत में ऐसा होगा। जेलों में बंद लोगों पर कितने अमानवीय और लोमहर्षक अत्याचार किए गए! शायद अंग्रेजों ने भी न किए होंगे।

इंदिरा जी ने तो संविधान की प्रस्तावना (Preamble) तक बदल दी। उसमें सेक्युलरिज्म तथा समाजवाद जैसे विदेशी अवधारणा के शब्द जोड़ दिए, जिनके लिए कहीं से भी कोई मांग नहीं उठाई गई थी।

आज जो लोग हाथों में संविधान की प्रति लहरा रहे हैं, सत्तारूढ़ भाजपा और नरेन्द्र मोदी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं, वे एक भी उदाहरण असंवैधानिक कृत्य का दे नहीं सकते। परंतु कांग्रेस की सर्वमान्य नेता इंदिरा गांधी ने तो 25 जून,1975 को आपातकाल घोषित करने के बाद पूरे संविधान को ही अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए बदल दिया। इंदिरा गांधी के कृत्य संविधान की हत्या करने से कम नहीं थे।

-रामस्वरूप

निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए
भारतीय संविधान में कर दिए थे मनमाने परिवर्तन

● भरत राम कुम्हार

18 वीं लोकसभा के अप्रैल-मई 2024 में हुए चुनावों के दौरान ऐसे विचार के लोगों ने, जिन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिये पूर्व में संविधान को बड़े आघात पहुंचाये, पिछले 10 वर्षों से सत्ता से दूर रहने की खीज उतारते हुए निर्लज्जता से यह शोर मचाया कि मोदी सरकार संविधान को ही नष्ट कर देगी। ऐसे समय में यह समीचीन होगा कि उन अवसरों की समीक्षा की जावे जिनमें ऐसा शोर मचाने वालों ने ही संविधान को नष्ट करने में कसर नहीं छोड़ी। संविधान को उन्होंने कितना महत्त्व दिया इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1975 के आपातकाल के दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा- ''Indira is India and India is Indira''। संविधान को आघात पहुंचाने वाली कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं -

स्वयं के संकट को बनाया देश का संकट

12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जगमोहन सिन्हा ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के रायबरेली से संसद के चुनाव को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उन्होंने चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाया। 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी।

पूरे देश से लोगों ने माँग की कि इन्दिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। इन्दिरा गांधी ने अपने स्वयं के संकट को देश का संकट कह कर 25 जून, 1975 को संविधान के अनुच्छेद-352 के तहत आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल के दौरान एक लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1971 एवं 1974 (चुनाव संबंधित विधि) में परिवर्तन करते हुए अपने चुनाव को पूर्व की तारीख से वैध घोषित कर दिया। इन अधिनियमों को संविधान की अनुसूची-9 में जोड़ दिया गया ताकि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके।

रद्द चुनाव को कराया विधि सम्मत

इसी दौरान भारतीय संविधान में भी 39 वां संशोधन-1975 कर संविधान में एक नया अनुच्छेद-329 ए जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है या बाद में प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके चुनाव को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि कोई चुनाव याचिका किसी व्यक्ति के विरुद्ध लम्बित है एवं ऐसे लंबित रहने के दौरान वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो वह याचिका समाप्त हो जावेगी। यदि पूर्व की किसी विधि के तहत चुनाव याचिका चल रही है एवं प्रधानमंत्री के विरुद्ध चुनाव अवैध घोषित कर भी दिया हो तो भी चुनाव वैध ही रहेगा।

इन दो परिवर्तनों (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन एवं (ii) संविधान में अनु. 329 ए जोड़ने के निम्न प्रभाव हुए-

(1) मनमाने ढंग से (Arbitrarily) एक व्यक्ति को संविधान एवं देश के कानून से ऊपर कर दिया गया ।

(2) पक्षकारों के बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति न्यायालयों को होती है, न कि संसद को। परन्तु संसद को न्यायालय की यह शक्ति दे दी गई।

(3) संविधान के मूल सिद्धान्त ''विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन'' का उल्लंघन किया गया।

(4) संसद के किसी कानून की संवैधानिकता जांचने की न्यायालय को प्राप्त शक्ति (न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति) को घोर आपत्तिजनक तरीके से समाप्त किया गया।

(5) सांसद का चुनाव सभी के लिए समानता के आधार पर, निष्पक्षता से होना चाहिए परन्तु यहां एक व्यक्ति इंदिरा गांधी के अवैध चुनाव को वैध घोषित करने के लिए संविधान के अनु.14 द्वारा प्रदत्त समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन किया गया।

(6) चुनाव विधि में भूतलक्षी

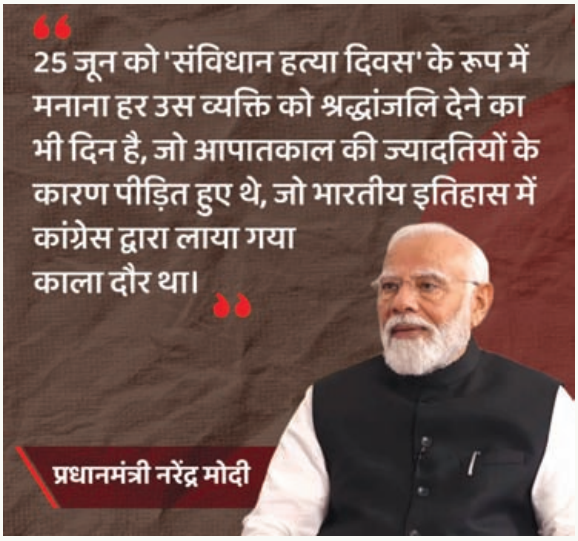

परिवर्तन (पहले की तारीख से लागू) कर पूरी तरह से पक्षपात किया गया।

पूरे देश पर आपातकाल थोप कर संविधान का दुरुपयोग किया। संविधान के अनुच्छेद 358 एवं 359 के तहत आदेश जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण को निलम्बित कर दिया। डरी हुई न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय) ने *'एडीएम जबलपुर बनाम शिवकान्त शुक्ला'* के मामले में निर्णय दिया कि जब अनु. 21 के क्रियान्वयन को निलम्बित कर दिया तो किसी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताये भी गोली मार दी जाये तब भी न्यायालय उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। सौभाग्य से 1977 के चुनाव में सरकार बदल गई-जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने 1978 में 44 वां संशोधन कर अनुच्छेद- 329 ए को समाप्त कर दिया।

संविधान को मनमाने ढंग से बदलने की शक्ति प्राप्त करने के लिए इन्दिरा गान्धी ने आपातकाल के दौरान संविधान में 42 वां संशोधन किया। इसके द्वारा संविधान के अनु 368 में खण्ड (4) एवं (5) जोड़े गये। खण्ड (4) में लिखा गया कि संविधान में कोई भी परिवर्तन (कुछ भी जोड़कर, हटाकर,प्रतिस्थापित करके) करने की संसद की असीमित शक्ति होगी। खण्ड (5)- संविधान में किये गये किसी भी संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यद्यपि आपातकाल की समाप्ति के बाद एक मामले (मिनर्वा मिल्स) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान के संशोधन की सीमित शक्ति दी गई है और वह उसी सीमित शक्ति का प्रयोग कर अपने आप में असीमित शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकती।

42 वें संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 144 ए जोड़ा गया जिसके द्वारा प्रावधान किया गया कि किसी भी केन्द्रीय विधि की संवैधानिकता को किसी भी उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की कम से कम 7 जजों की बैंच ही केन्द्रीय विधि की वैधता जांच सकेगी एवं 2/3 बहुमत से ही उस विधि को शून्य घोषित कर सकेगी। ऐसा ही एक प्रावधान अनु. 228ए जोड़कर भी किया गया।

बाद में जनता सरकार को 43वां संशोधन कर इन प्रावधानों को समाप्त करना पड़ा तथा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जिसे इन प्रावधानों ने कम कर दी थी, को पुन: स्थापित कर दिया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान सभा द्वारा पारित संविधान के कई निर्देशों की अनदेखी की गई। जिन प्रावधानों को समाप्त करने का या लागू करने का निर्देश स्वयं संविधान ने दिया था, उन्हें नहीं किया गया, यथा-

(1) समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश स्वयं संविधान ने अनु. 44 में दिया हुआ है एवं सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार निर्देश दिये। परन्तु इसे नहीं बनाया गया और अब इसे बनाने का कार्य चल रहा है तो उसका विरोध किया जा रहा है।

(2) अनु. 370 में जो व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी बनाई गई थी उसे समाप्त करने की कभी पहल नहीं की बल्कि, अब जब उसे समाप्त कर दिया गया है तब भारी चिल्लपों मचायी जा रही है।

-लेखक विधि महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य तथा मा.शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में विद्या भारती, राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं।

प्रजातंत्र को कौन पूछता, तुम्हीं बड़ी हो

(आपातकाल के प्रतिवाद में नागार्जुन की लिखी कविता)

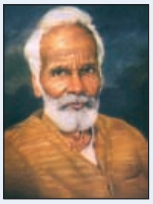

खूब तनी हो,खूब लड़ी हो, खूब लड़ी हो
प्रजातंत्र को कौन पूछता, तुम्हीं बड़ी हो

डर के मारे न्यायपालिका काँप गई है
वो बेचारी अगली गति-विधि भाँप गई है
देश बड़ा है, लोकतंत्र है सिक्का खोटा
तुम्हीं बड़ी हो, संविधान है तुम से छोटा

तुम से छोटा राष्ट्र हिन्द का, तुम्हीं बड़ी हो
खूब तनी हो, खूब अड़ी हो, खूब लड़ी हो

यह कमजोरी ही तुमको अब ले डूबेगी
आज नहीं तो कल सारी जनता ऊबेगी
लाभ-लोभ की पुतली हो, छलिया माई हो
मस्तानों की माँ हो, गुण्डों की धाई हो

सुदृढ़ प्रशासन का मतलब है प्रबल पिटाई
सुदृढ़ प्रशासन का मतलब है 'इन्दा' माई
बन्दूकें ही हुईं आज माध्यम शासन का
गोली ही पर्याय बन गई है राशन का

शिक्षा केन्द्र बनेंगे अब तो फौजी अड्डे
हुकुम चलाएंगे ताशों के तीन तिगड्डे
बेगम होगी, इर्द-गिर्द बस गूल्लू होंगे
मोर न होगा, हंस न होगा, उल्लू होंगे।

जब विपरीत निर्णय देने वाले न्यायाधीशों को सिखाया सबक

25 जून को लागू हुए आपातकाल में न्यायपालिका को अपने अनुसार निर्णय देने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया गया। यदि किसी न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी की बात मानने से इंकार करते हुए लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में अपना निर्णय दिया तो अपमानजनक रूप से उसकी पदोन्नति रोक कर कनिष्ठ न्यायाधीश को वरीयता दे दी गई या अन्यथा प्रताड़ित किया गया।

इंदिरा गांधी चाहती थी निरंकुश सत्ता

वे चाहती थीं संविधान में ऐसा परिवर्तन जिससे उनके निर्णय पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगाए, सर्वोच्च न्यायपालिका भी नहीं। यदि वे संविधान द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को समाप्त कर दें तो न्यायपालिका चूं भी न करे।

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के मामले में प्रश्न था कि क्या संसद संविधान में जैसा चाहे वैसा संशोधन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने इस पर विचार किया। सात न्यायाधीशों ने कहा- संसद को (यानी प्रकारान्तर में सत्तारूढ़ दल को) यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मौलिक ढांचे (जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, संघवाद, कानून का शासन आदि) को बदल दे। छः न्यायाधीशों ने इंदिरा गांधी की इच्छानुरूप निर्णय दिया कि संसद को पूर्ण अधिकार है- संविधान में कैसा भी बदलाव लाने का।

इस निर्णय से इंदिरा गांधी बहुत नाराज हुई। नाराज इंदिरा गांधी की गाज निर्णय में शामिल तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों पर गिरी। इस मामले में निर्णय के दिन ही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएम सीकरी सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके बाद वरिष्ठता क्रम में थे- न्यायमूर्ति केएस हेगड़े, न्यायमूर्ति जेएम शेलाट और न्यायमूर्ति एन ग्रोवर। परंतु इन तीनों ने संविधान की सर्वोच्चता के पक्ष में निर्णय दिया था- इसलिए इंदिरा जी ने इनकी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति एनएन रे, जो वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर थे, को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, क्योंकि न्यायमूर्ति एनएन रे ने इंदिरा जी की इच्छानुसार निर्णय दिया- संविधान को जैसे चाहे वैसे बदलो।

न्यायमूर्ति केएस हेगड़े

न्यायमूर्ति जेएम शेलाट

न्यायमूर्ति एन ग्रोवर

न्यायमूर्ति एचआर खन्ना

एक अन्य मामले एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला में भी यही परिणति हुई। प्रश्न था कि क्या जीने का अधिकार (प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) भी आपातकाल में समाप्त किया जा सकता है? 4-1 के बहुमत से फैसला सरकार के पक्ष में आया। न्यायमूर्ति एचआर खन्ना एक मात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता एक नैसर्गिक (स्वतः प्राप्त) अधिकार है जिसे उपयुक्त विधि के बिना छीना नहीं जा सकता। परंतु शेष चार न्यायाधीश गण ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था।

मुख्य न्यायाधीश एनएन रे की सेवानिवृत्ति पर न्यायमूर्ति एचआर खन्ना वरिष्ठतम थे। उन्हें ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए था। वे एक योग्य न्यायाधीश थे। परंतु उनसे नाराज इंदिरा गांधी ने उनसे वरिष्ठता में नीचे न्यायमूर्ति एमएच बेग को देश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया क्योंकि वे केशवानन्द मामले में सरकार के साथ खड़े थे।

कहना न होगा कि उपरोक्त दोनों ही मामलों में जिन न्यायाधीशों की अवहेलना की गई, उनको अपमानित किया गया, उन्होंने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था। संविधान को अपनी मनमर्जी से बदलने की इच्छा रखने वाले एक तानाशाह के विरुद्ध उनका यह विरोध था। भारत के न्यायिक इतिहास में ये चारों न्यायामूर्ति हमेशा लोकतंत्र और संविधान रक्षक के रूप में याद किए जाएंगे। ■ (राम)

इंदिरा गांधी चाहती थी न्यायपालिका पर नियंत्रण

''यह संविधान नहीं है, जो हमारे प्रगतिशील कदमों की बेड़ियां बन रहा है, यह तो न्यायपालिका है जो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या (अपने ढंग से) कर बाधाएं खड़ी करती है और हमें इसे भी बदलना है।''

– ***श्रीमती इंदिरा गांधी***

(29 मई, 1976 को अ.भा.कांग्रेस कमेटी के समक्ष दिए गए भाषण का अंश)

आपातकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात

प्रेस पर कस दिया शिंकजा

■ गुलाब बत्रा, वरिष्ठ पत्रकार

आपातकाल में संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बुरी तरह कुचला गया। सेंसरशिप लागू करके समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जकड़ दी गई। आम आदमी की हिम्मत को तोड़ दिया गया। आपातकाल के भयावह दौर ने तो एक मायने में भारत का मुखबंद कर दिया।

कई प्रकाशन केन्द्रों पर समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली काट दी गई। सेंसरशिप में अफसरों की मंजूरी के पश्चात् समाचार छापने की मजबूरी हो गई। ऐसे में निर्भीक पत्रकार रामनाथ गोयनका जी ने इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय पृष्ठ को खाली छोड़कर सहज विरोध प्रदर्शित करने का मार्ग अपनाया। इससे नाराज सरकार ने संपादकों की एक बैठक 28 जून को बुलाई जिसमें तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने चेतावनी दी कि संपादकीय को खाली छोड़ना भी अपराध माना जाएगा।

राष्ट्रीय विचारों के पत्रकार संगठन एनयूजेआई ने विरोध किया। एनयूजेआई नेता दादा पृथ्वीश चक्रवर्ती की अगुवाई में इंदिरा जी के समक्ष सेंसरशिप का विरोध किया गया। जबकि, वामपंथी विचारधारा समर्थक पत्रकार संगठन आईएफडब्ल्यूजे ने आपातकाल का समर्थन किया।

पत्रकारों को भी जेल की हवा खिलाई गई। आनन-फानन में अंग्रेजी की न्यूज एजेंसी पीटीआई व यूएनआई तथा भाषायी न्यूज एजेंसी हिन्दुस्तान समाचार व समाचार भारती की जगह सरकार ने एक न्यूज एजेंसी 'समाचार' गठित कर दी। इसके दिल्ली मुख्यालय से तत्कालीन युवक कांग्रेस नेता संजय गांधी के गुणगान की खबरें जारी करवाने की होड़ लगाई गई। इसके बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत के झंडाबरदार संविधान की दुहाई देने से नहीं अघाते। इस मुद्दे पर जनता जनार्दन को आत्म-चिंतन की आवश्यकता है। ■

बंद करा दिए थे 4 हजार अखबार 290 संपादकों को किया था नजरबंद

■ पाथेय डेस्क

आपातकाल की घोषणा के साथ ही इंदिरा गांधी ने सबसे पहले और सबसे अधिक ध्यान प्रेस का मुंह बंद करने या उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए किया। भय की जंजीरों से जकड़ा प्रेस उनके लिए अनिवार्य था। सरकार ने प्रेस की आजादी का गला घोंटकर आपातकाल से संबंधित सभी प्रकार की खबरों पर प्रतिबंध लगा दिया। जिन अखबारों तथा पत्रिकाओं ने आपातकाल की घोषणा का समाचार छापा उन पर तुरन्त ताले जड़ दिए गए। राष्ट्रवादी अथवा प्रखर देशभक्त पत्रकारों को घरों से उठाकर जेलों में बंद कर दिया गया। जनता की आवाज पूर्णतया खामोश कर दी गई।

अंग्रेजी दैनिक मदरलैण्ड के संपादक केआर मलकानी को 25 जून की रात में घर से पकड़कर जेल में डाल दिया। मदरलैण्ड का कार्यालय सील कर दिया गया। जो घोषित रूप से राष्ट्रवादी विचार के अखबार थे, उनके प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस ने रात में ही समाचार पत्रों व समाचार एजेन्सियों के कार्यालयों पर लगभग कब्जा सा कर लिया।

सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ल ने दिल्ली के ***संपादकों की बैठक में धमकी दी, ''अब सरकार व प्रेस के मध्य किसी प्रकार का टकराव सहन नहीं किया जाएगा।'' 09 जुलाई, 1975 को इंदिरा ने कहा कि गलती हमारी है जो हमने अखबारों को इतनी आजादी दी। वे इसका दुरुपयोग कर रहे थे।*** पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, मराठा टाइम्स, थानीनिरम् (मलयालम) जैसी अनेक पत्र-पत्रिकाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। अध्यादेश लाकर प्रेस-कौन्सिल समाप्त कर दी गई। लगभग 3 हजार 800 अखबार जप्त कर लिए तथा 290 संपादकों को नजरबंद किया गया।

जयपुर की पूर्व महारानी को बदबूदार कमरे में रखा

जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी को तिहाड़ जेल के एक ऐसे कमरे में रखा गया, जिसमें एक ही बिस्तर था, एक नल था, परंतु उसमें पानी नहीं आता था। उनकी कोठरी के बाहर एक नाला था जिस में कैदी टट्टी करते थे, इस कारण कमरे में बदबू भरी रहती थी। पंखा तो था ही नहीं। उन्हें आर्थिक अपराधी के तौर पर गिरफ्तार किया गया। उनके पुत्र कर्नल भवानी सिंह को गिरफ्तार कर जेल के बाथरूम में रखा गया।

संघ कार्यकर्ता पर तख्ता पलटने का आरोप

आपातकाल लगाते समय श्री मदनदास देवी विद्यार्थी परिषद् के संगठन मंत्री थे। उन्हें एक कार्यकर्ता के घर से गिरफ्तार किया गया। बाद में आरोप लगाया कि दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज के सामने छात्रों को भड़काकर इंदिरा गांधी का तख्ता पलटने का आह्वान किया था।

क्या कांग्रेस ने आपातकाल के लिए माफी मांगी ? : दत्तात्रेय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले ने मार्च, 2023 में पानीपत में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने इमरजेंसी थोंप कर देश को जिंदा जेल बना दिया था। क्या उन्होंने (इसके लिए) कभी माफी मांगी? क्या कांग्रेस को भारत में लोकतंत्र पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार है? भारतीय लोकतंत्र की संरचनाओं पर तब क्रूर हमले किए गए।

25 जून, 2023 को आपातकाल की 48वीं बरसी पर श्री होसबाले ने आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए कहा था कि आम लोगों पर भीषण अत्याचार हुए। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि गायत्री नाम की एक महिला सत्याग्रही को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जेल में प्रसव वेदना हुई। डिलीवरी के समय भी उसके दोनों पैरों को जंजीर से बांधा गया था। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी प्रोफेसर ओमप्रकाश कोहली का जिक्र किया। वे थोड़े दिव्यांग थे, पुलिस ने उनको लात मारी, भारी अपमान किया। उनका पैरों पर खड़े होना मुश्किल हो गया। दत्तात्रेय जी ने कहा- आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश को खतरा हो। जब कोई व्यक्ति या पार्टी असुरक्षित और अस्थिर हो तो संविधान का दुरुपयोग लोकतंत्र में कभी नहीं होना चाहिए।

संघ पर दमन

आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा दमन हुआ। संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री बाला साहब देवरस एक कार्यक्रम के बाद फिरोजाबाद से नागपुर जा रहे थे। उन्हें ट्रेन से उतार कर गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के विरुद्ध सत्याग्रह कर हजारों स्वयंसेवक जेल गए। कुल गिरफ्तार हुए एक लाख 40 हजार लोगों में से लगभग एक लाख संघ के स्वयंसेवक थे। जेल में प्रताड़ित होने वाले 90 प्रतिशत लोग किसी न किसी तरह संघ से जुड़े थे। संघ और उससे जुड़े अधिकांश संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल के दौरान जेल में या बाहर संघर्ष करते हुए संघ के करीब सौ कार्यकर्ताओं की जान चली गई। संघ के अ.भा. व्यवस्था प्रमुख रहे श्री पांडुरंग क्षीरसागर का ठाणे जेल में देहांत हो गया था।

संघ के कार्यालय को ध्वस्त कराया

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कार्यालय हेतु दो कमरे का भवन दिया था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। देश भर में संघ के कार्यालयों पर ताले लगा दिए गए। संघ से जुड़े विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया।

हैवानियत

आपातकाल में जेलों में इतने अत्याचार किए गए कि हैवानियत भी कांप उठी। गिरफ्तार बहुत से लोगों पर पुलिस ने अमानवीय क्रूरता की। बिजली के झटके लगाना, अंगुलियों पर डंडे बरसा कर कुचल देना, घंटों तक बर्फ की शिला पर नंगा लेटाना, गुदा द्वार में मिर्च या डण्डा डालना, उल्टा लटकाकर पीटना, मोमबत्ती या सिगरेट से शरीर दागना आदि सामान्य था। कन्नौद नगर पालिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के प्राइवेट पार्ट में दस किलो का पत्थर लटकाया गया।

कारगिल विजय के 25 वर्ष

भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य, बलिदान की विजय गाथा

पाक सैनिकों ने मई 1999 में जम्मू-कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर क्षेत्र की कई ऊँची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने माइनस 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अद्वितीय साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सभी चोटियों से दुश्मन को मार भगाया और विजयी तिरंगा फहरा दिया। लगभग 18 हजार फीट तक की ऊँचाई

पर यह युद्ध 84 दिन तक चला। 26 जुलाई, 1999 को भारत ने कारगिल विजय की घोषणा की थी, जिसे हर वर्ष 'कारगिल विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में देश के 527 वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया तथा सैकड़ों घायल हुए। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए तथा 750 युद्ध छोड़ कर भाग गए। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता को प्रदर्शित करने वाली कई फिल्में भी बनाई गई हैं।

वाम-सेकुलर एवं विपक्षी दलों का दोहरा चरित्र उजागर

मुस्लिम आस्था का सम्मान, हिंदू आस्था का विरोध

क्या हमें मालूम है कि मुस्लिम संगठनों ने प्रत्येक दुकान, उद्योग, भोजनालय, रेस्टोरेंट, होटल आदि के लिए 'हलाल-प्रमाण पत्र' का प्रावधान किया हुआ है? यदि किसी छोटे-बड़े व्यापारी ने 'हलाल-सर्टिफिकेट' अपने व्यवसाय स्थल पर प्रदर्शित नहीं किया है तो मुसलमान वहां न तो खाना- नाश्ता करते हैं और न ही वहां से किसी प्रकार का सामान खरीदते हैं।

'हलाल' का यहां तात्पर्य है कि उक्त होटल, रेस्टोरेंट में भोजन-नाश्ता आदि या अन्य उत्पाद मुस्लिम आस्था के अनुसार बने हैं। यदि कोई व्यवसायी, दुकानदार या उद्योगपति हिंदू है तो भी उसे हलाल सर्टिफिकेट लेना होगा, यदि हिंदू को 'हलाल' में विश्वास नहीं है तो भी।

हलाल शब्द विशेष रूप से मांस के लिए काम में लिया जाता रहा है। हलाल मांस वह होता है जिसमें जानवर को धीरे-धीरे काटकर मारा जाता है। जो हिंदू मांसाहारी हैं वे झटका मांस का उपयोग करते हैं। झटका मांस में एक ही झटके से जानवर को मारा जाता है।

किसी भी विपक्षी दल, वाम-सेकुलर बिरादरी के पत्रकार या लेखक ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों? मुस्लिम धार्मिक आस्था का सम्मान और हिंदू धार्मिक आस्था पर प्रश्न चिह्न! आखिर ऐसा क्यों? देश को विशेषकर हिंदुओं को इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार का नया निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में खाने-पीने की वस्तुओं के विक्रेता को अपने व्यवसाय स्थल पर अपना नाम, पता तथा मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। इसके पीछे हजारों-लाखों की संख्या में चलने वाले कांवड़ियों को भोजन, फल, आदि सामग्री का क्रय अपनी धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए करने की सुविधा देना बताया जा रहा है।

इस प्रावधान का विरोध कांग्रेस, सपा, बसपा आदि विपक्षी दलों तथा तथाकथित वाम-सेकुलर बिरादरी के पत्रकार-लेखकों द्वारा किया जा रहा है। इसे मुस्लिम विरोधी, सेक्युलरिज्म विरोधी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम कर रही है-सांप्रदायिकता फैला रही है।

पुराना है नियम

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बनाकर प्रत्येक रेस्तरां या ढाबा संचालक को अपनी फर्म का नाम, अपना नाम और लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य करा दिया था। देखा जाए तो, उसी नियम की पालना अब कराई जा रही है।

फिर जो भी सार्वजनिक स्थल पर कार्य करता है जैसे कलेक्टर, पुलिस अधिकारी, प्राचार्य आदि, इनके ऑफिस के बाहर उनकी नेम प्लेट लगी रहती ही है। यदि फल-सब्जी विक्रेता सहित सभी व्यापारियों के नाम सार्वजनिक हो जाएंगे तो क्या होगा? साम्प्रदायिकता तो मुसलमानों को भड़काने का काम करने वाले विपक्षी दल और वाम-सेक्युलर बिरादरी के लोग कर रहे हैं। **जब तक मुस्लिम मतदाता संगठित और हिंदू मतदाता जातियों में बिखरे रहेंगे, तब तक विपक्ष और सेक्युलर बिरादरी ऐसे ही हिंदू-मुसलमान के नाम पर मुसलमानों को भड़काते रहेंगे** और उनके मन में भाजपा के प्रति भय उत्पन्न कर अपना स्वार्थ पूरा करते रहेंगे। इस विषय में सोशल मीडिया पर पिछले दिनों बहुत लिखा गया है। देखें कुछ बानगी-

(1) एक मुस्लिम को अधिकार है जानने का कि वह क्या खा रहा है- हलाल या अन्य। वह खाना उसके धार्मिक निर्देशानुसार है या नहीं?- तो यह सेक्युलर माना गया। परंतु, अगर एक हिंदू को यह अधिकार मिलता है कि जो खाना वह खरीद रहा है वह उसकी धार्मिक आस्था के अनुसार है या नहीं- तो यह साम्प्रदायिक हो गया! यह डबल स्टैंडर्ड क्यों?

(2) यह केवल भारत में ही संभव है- खाने (भोजन) की धार्मिक पहचान प्रदर्शित करना यह सेक्युलरिज्म है। परंतु भोजन विक्रेता की पहचान प्रदर्शित करना साम्प्रदायिक माना जाता है। क्या यह ढकोसला नहीं है? इसके क्या मायने हैं?

(3) यहूदियों द्वारा 'कोशर' तथा मुस्लिमों द्वारा 'हलाल' भोजन की मांग सेक्युलर है तो हिंदुओं द्वारा उनके धार्मिक उत्सवों पर 'सात्विक भोजन' की मांग साम्प्रदायिक कैसे हो गई? यह दोगलापन कब बंद होगा?

(4) योगी सरकार द्वारा विक्रेता का नाम प्रदर्शित किए जाने के निर्णय से विकृत सेक्युलर लोगों को धक्का सा (shock) लगा है। उनकी किताबों में केवल ईसाई एवं इस्लामी परंपराओं का आदर सेक्युलरिज्म है, परंतु हिंदू परंपराओं का आदर अपमानजनक है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवा प्रश्न उठाते देखा गया कि विपक्ष जातीय जनगणना की मांग कर रहा है जिसमें सबकी जाति पूछी जाएगी। परंतु उन्हें नाम पूछने पर ऐतराज है। (राम)

हिंदू समाज को तोड़ने का गहरा षड्यंत्र

भील प्रदेश की मांग के समर्थन में मुस्लिम समुदाय क्यों ?

पिछले दिनों (18 जुलाई, 2024 को) बांसवाड़ा जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर भील मुक्ति मोर्चा द्वारा एक रैली का आयोजन कर 'भील प्रदेश' के नाम पर अलग से प्रांत बनाने की मांग रखी गई। इस रैली में भाषण देने वाले कई वक्ताओं ने यह भी कहा कि भील या आदिवासी हिंदू नहीं है। यह बात समझ से बाहर है। आखिर **हिंदू रहते हुए क्या भील प्रदेश की मांग नहीं की जा सकती? एक अलग प्रांत बनाने के लिए अपने को अहिंदू घोषित करना क्या आवश्यक है? सारी समस्या इस गूढ़ प्रश्न के उत्तर में समाहित है।**

आखिर कौन चाहते हैं कि भील या अन्य जनजातीय समूह हिंदू नहीं रहें? संविधान में 'आदिवासी' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस समुदाय के लिए 'जनजाति' शब्द का प्रयोग हुआ है। तब कौन हैं वे लोग जो इस जनजाति समुदाय की पहचान बार-बार आदिवासी के रूप में करना चाहते हैं?

अंग्रेजों के साथ इस देश में 'ईसाई मिशनरीज' भी आए थे। अंग्रेजों की कुटिल चालों के कारण आज मेघालय, मिजोरम का लगभग पूरा जनजातीय समुदाय ईसाई पंथ में मतांतरित हो गया है। कौन हैं जिन्होंने इस समुदाय को ईसाई बनाया? वहां इस समुदाय का न केवल मतांतरण हुआ है, उनकी संस्कृति, रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान सब कुछ बदल गया है। उनका पूरा जीवन चर्च द्वारा नियंत्रित होता है। एक प्रकार से उनका राष्ट्रांतरण हो गया है।

मानगढ़ धाम में भील प्रदेश की मांग को लेकर जो सभा हुई, उसके वीडियो और चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो भीड़ में बहुत से मुसलमान भी पहचान में आते हैं। रैली में स्थानीय मुस्लिम नेता भील प्रदेश जल्दी बनाने का समर्थन करते

दिखाई दिए।

मुस्लिम समाज बांसवाड़ा के एक मोहम्मद हुसैन पीनुलाला का वक्तव्य स्थानीय टीवी चैनल पर आया है जिसमें वे अभिवादन में 'जोहार' बोलते दिखाई दिए। यह संबोधन झारखंड का है। इससे क्या इस शंका को बल नहीं मिल रहा कि झारखण्ड व छत्तीसगढ़ के ईसाई व मुस्लिम इस भील प्रदेश की मांग के पीछे हैं? मुस्लिम समुदाय ने भील प्रदेश बनाने के लिए 50 हजार रुपए भी दिए। रैली में मुस्लिम समाज की ओर से किसी हनीफ का शामिल होना बताया गया, जिसने कहा कि हम सिर्फ भील प्रदेश पर ही नहीं रूकेंगें, गोंडवाना बाकी है।

तो क्या मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का एजेंडा अलग-अलग राज्यों में जनजातीय लोगों को भड़का कर हिंदुओं से उनकी अलग पहचान बताते हुए देश में अलगाववाद को हवा देना नहीं दिखाई दे रहा?

मतांतरित लोग कर रहे हैं यह मांग

महारैली पर समाज की भी प्रतिक्रिया आई है। जनजाति समाज के बीच लंबा समय बिताने वाली बांसवाड़ा की राजश्री, जो कि एक समाजसेवी हैं, ने कहा कि जनजाति समाज को बरगला कर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। पहले उन्हें आदिवासी कहना, फिर आदिवासी ही मूल निवासी हैं बताना और फिर आदिवासी हिंदू नहीं है कहना, हिंदू समाज को तोड़ने का एक गहरा षड्यंत्र है। रैली में अधिकांश वो लोग थे, जो कभी जनजाति समाज का हिस्सा थे, लेकिन अब वे जनजातीय परम्पराएं छोड़ कर या तो मुसलमान बन गए हैं या ईसाई। भील प्रदेश की मांग जनजाति समाज की नहीं बल्कि हिंदू धर्म छोड़ चुके कन्वर्टेड ईसाइयों व मुसलमानों की है, जिसे भारत आदिवासी पार्टी हवा दे रही है।

ईसा से हजारों वर्ष पहले भी था जनजाति समाज

कन्वर्जन से क्षुब्ध बाबा कार्तिक उरांव ने विभिन्न कार्यक्रमों में वनवासियों से कहा था कि 'ईसा से हजारों वर्ष पहले जनजाति समाज में निषादराज गुह, माता शबरी, कण्णप्पा आदि हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि हम सदैव हिंदू थे और हिंदू रहेंगे।' जनजाति समाज हिंदू ही है, यह तार्किक रूप से सिद्ध करने के लिए उन्होंने भारत के कोने-कोने से उनके 'पाहन', 'गांव बूढ़ा', 'टाना भगतों' आदि धर्मध्वजधारियों को आमंत्रित किया और कहा, ''आप अपने समुदायों में जन्म तथा विवाह जैसे अवसरों पर गाये जाने वाले मंगल गीत बताइए।''

फिर वहां सैकड़ों मंगल गीत गाये गये और सब में यही वर्णन मिला कि, ''जसोदा मैया श्रीकृष्ण को पालना झूला रही हैं'', ''सीता मैया राम जी को पुष्प वाटिका में निहार रही हैं'', ''माता कौशल्या रामजी को दूध पिला →

मानगढ़ धाम पर जुटे लोग चर्च की विचारधारा से प्रभावित

भील प्रदेश के बारे में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उदयपुर के सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने कहा कि कुछ लोग अलग राज्य की मांग को लेकर मानगढ़ धाम गए हैं। वे अंग्रेजों व चर्च के विचारों से प्रेरित हैं। वहां जाकर भ्रामक वातावरण बना रहे हैं। वहां जाने वाले एक संगठन के लोग हैं, जो केवल कट्टरता व जातिवाद का जहर फैलाने के राजनीतिक उद्देश्य से वहां गए हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। समाज और क्षेत्र को ऐसे तत्वों से सावधान रहना चाहिए। सामाजिक समरसता को खराब करने के लिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज तो वहां गया ही नहीं। मानगढ़ धाम आदिदेव, महादेव, आदिशक्ति का स्थान है, जहां जनजाति समाज अपनी सनातन परंपरा के अनुसार अपने गुरु के आदेश पर पूर्णिमा के दिन घी लेकर हवन करने के लिए गया था। इस जनजाति समाज का 1913 में अंग्रेजों ने भारी गोलाबारी कर नरसंहार किया था। आज जो लोग अलग राज्य की मांग को लेकर वहां गए हैं, वे उन्हीं नरसंहार करने वालों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं।

रावत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने स्थानीय जनजाति समाज व दक्षिणी राजस्थान के लिए लाभकारी योजनाएं दी हैं। उसकी बौखलाहट में ये तत्व वहां जा कर वैचारिक प्रदूषण फैला रहे हैं। मिशनरियों के प्रभाव में जनजाति समाज शुरू से ही षड्यंत्र का शिकार हुआ है। सन 1950 में जब संविधान बना, उस समय अनुसूचित जाति (एससी) की परिभाषा को लेकर राष्ट्रपति की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें स्पष्ट था कि जो हिन्दू समाज का व्यक्ति है, वही अनुसूचित जाति का कहलाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए भी यही प्रावधान लागू होना था। उसमें भी हिन्दू संस्कृति मानने वाले को ही जनजाति समाज का मानते हुए जनजाति आरक्षण का लाभ मिलना था। लेकिन, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में जनजाति समाज के साथ दोहरा मापदंड अपनाया गया।

उन्होंने साफ कहा कि ईसाई मिशनरियों के प्रलोभन व दबाव में जनजाति समाज के जो लोग हिन्दू परम्परा व आस्था को छोड़ ईसाई या मुसलमान बन चुके हैं, अब वे जनजाति समाज का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें जनजाति आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वे आज भी यह लाभ ले रहे हैं, जो कि असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अमानवीय और अनैतिक है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के कन्वर्टेड पांच प्रतिशत लोग ही जनजाति वर्ग के आरक्षण के असली पात्र 95 प्रतिशत लोगों का हक छीन रहे हैं। ऐसे अपात्र लोगों को चिन्हित करने के लिए देश के 22 राज्यों में आंदोलन चल रहा है, जिसे डी-लिस्टिंग आंदोलन कहा जा रहा है। इस डी-लिस्टिंग आंदोलन का विरोध करने वाले चर्च से प्रेरित विचारधारा से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि झाबुआ, झारखण्ड आदि राज्यों में ये लोग चिन्हित हो चुके हैं। अब यही लोग दक्षिणी राजस्थान में भी घुसपैठ कर रहे हैं। अब वे चर्च से प्रभावित स्थानीय संगठन के माध्यम से मानगढ़ धाम से सामाजिक एकता व समरसता को विखंडित करने के प्रयासों में जुटे हैं। राष्ट्रहित व सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

→ रही हैं''...आदि। यह ऐसा जबरदस्त प्रयोग था, जिसकी काट किसी के पास नहीं थी। जीवन के अंतिम वर्षों में कार्तिक उरांव ने स्पष्ट कहा था, ''हम एकादशी को अन्न नहीं खाते, भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा, विजयदशमी, रामनवमी, रक्षाबंधन, देवोत्थान पर्व, होली, दीपावली हम सब धूमधाम से मनाते हैं।''

ओ राम.. ओ राम... कहते बन गए उरांव

'ओ राम... ओ राम...' कहते-कहते हम 'उरांव' नाम से जाने गए। हम हिंदू पैदा हुए, और हिंदू ही मरेंगे। ''कन्वर्जन के विरोध में 1967 में वे संसद में 'अनुसूचित जाति / जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 1967' भी लेकर आए। लेकिन ईसाई मिशनरियों के दबाव के चलते इंदिरा गांधी ने उसे पास नहीं होने दिया। ■

आदिवासी हिंदू हैं

राजस्थान विधानसभा में बोलते हुए पिंडवाड़ा- आबू के विधायक श्री समाराम गरासिया, जो स्वयं आदिवासी-जनजातीय समाज से हैं, ने कहा कि आदिवासी सनातनी हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जो आदिवासी अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए, उनकी जांच की जाए। उनका नाम आरक्षण के संबंध में अनुसूचित जनजाति से हटाकर डी-लिस्टिंग की जाय। ऐसे लोग आरक्षण का फायदा भी लेते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। जबकि, आदिवासी सब हिंदू ही हैं।

अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक

देश के एक लाख स्थानों पर है संघ का प्रत्यक्ष कार्य

देश के सभी मंडलों तथा बस्तियों में संघ शाखा का लक्ष्य

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का ऐसा एकमात्र संगठन है जिसके लाखों सक्रिय सदस्य एक लाख से अधिक स्थानों पर प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार तो अवश्य ही एकत्रित होकर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं तथा मातृभूमि एवं ईश्वर की प्रार्थना करते हुए अपने लक्ष्य का स्मरण करते हैं और 'भारत माता की जय' बोलते हैं। ये आंकड़े केवल भारत के हैं। विश्व के कई देशों में भी संघ शाखा चलती है।

गत 12 से 14 जुलाई को झारखण्ड के रांची शहर में अ.भा. प्रांत प्रचारक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के अंतिम दिन पत्रकार वार्ता में संघ के अ.भा. प्रचार प्रमुख श्री सुनील आंबेकर ने बताया कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के सभी 58 हजार 981 मंडलों तथा शहरी क्षेत्र के सभी 23 हजार 649 बस्तियों में संघ की शाखा आरंभ करने का लक्ष्य है। अभी 36 हजार 823 मंडलों में तथा 14 हजार 645 बस्तियों में संघ की प्रत्यक्ष दैनिक शाखा है। शेष मंडल या बस्तियों में साप्ताहिक अथवा मासिक संपर्क हैं। जहां तक कुल दैनिक शाखाओं की बात है, अभी देश में 73 हजार 117 दैनिक शाखाएं तथा 27 हजार 717 साप्ताहिक मिलन चलते हैं।

संघ से जुड़ रही है युवा शक्ति

श्री आंबेकर ने बताया कि देश की युवा शक्ति बड़ी संख्या में संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रही है तथा जुड़ भी रही है। Join RSS (ज्वाइन आरएसएस-संघ से जुड़ें) नाम से प्रारंभ की गई वेबसाइट पर प्रतिवर्ष एक से सवा लाख युवक-युवतियां संघ के साथ विविध गतिविधियों में जुड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 24 हजार लोगों ने विभिन्न प्रशिक्षण वर्गों में संघ कार्य करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

व्यापक जनसंपर्क

आंबेकर जी ने बताया कि संघ शाखा के प्रत्यक्ष कार्य के अलावा भी 1 लाख 58 हजार 532 गांवों तक जागरण पत्रिकाओं के माध्यम से सकारात्मक संदेश, आध्यात्मिक विचार, संतों के संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने संघ द्वारा समाज का व्यापक सम्पर्क किए जाने के क्रम में बताया कि श्रीराम जन्मभूमि अक्षत वितरण अभियान के अंतर्गत 15 दिनों में देश के पौने छह लाख गांवों तक स्वयंसेवक पहुँचे।

प्रांत प्रचारक बैठक में संघ स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने तक (यानि विजयादशमी, 2025 तक) प्रत्यक्ष संघ कार्य के विस्तार के साथ ही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर के जीवन संदेश, जीवन आदर्श व कार्यों को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य समाज के साथ मिलकर करना तय हुआ है।

गांवों के विकास की दृष्टि से गौसेवा तथा ग्राम विकास की विशेष योजना बनाई जा रही है। मणिपुर सहित पूरे भारत में स्वयंसेवक सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। संघ के पर्यावरण संरक्षण के कार्य को समाज का सहयोग मिल रहा है। आंबेकर जी ने बताया कि प्रांत प्रचारक बैठक में पंच परिवर्तन विषयों को लेकर हो रही तैयारी पर भी चर्चा की गई।

मनाया गया ओरण महोत्सव - एक सौ एक जोत से महाआरती

कोलू पाबूजी ओरण आरती महोत्सव 23वां आयोजन गत 16 जुलाई को संपन्न हुआ। रियासत काल से गायों तथा जंगली जानवरों के लिए स्वच्छंद विचरण हेतु गांव-कस्बों में 'ओरण' नाम से भूमि आरक्षित रहती आई है। मारवाड़ में तो ओरण-भूमि देवभूमि मानी जाती है। ओरण भूमि पशुधन के लिए चारागाह हैं जहां जलाशय (तालाब, कुंआ, बावड़ी आदि) की भी व्यवस्था रहती है। इस भूमि में कभी हल से जुताई नहीं होती तथा हरे वृक्षों की कटाई भी नहीं होती।

पर्यावरण संरक्षण जनजागरण अभियान जो 5 मई, 2023 से शुरु हुआ था, उसका यह 23वां आयोजन था, जिसमें एक सौ एक जोत से महाआरती की गई। ओरण की परिक्रमा तथा रात्रि जागरण में माटा वादन हुआ। इस कार्यक्रम में संघ के क्षेत्रीय प्रचारक श्री निम्बाराम, महंत शिवगिरी रामेश्वरमठ शेरगढ़, महंत दुर्गादास जी परमेश्वर दास चराई धाम सहित अनेक धर्माचार्य, विविध संगठनों के पदाधिकारी एवं सर्व समाज के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

विभाजन विभिषिका दिवस- 14 अगस्त

क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था ?

नेहरू ने कहा था- ''हम थक चुके थे। यदि हम अखण्ड भारत पर डटे रहते तो (फिर से) हमें जेल जाना पड़ता''

अंग्रेजों का भारत छोड़कर जाना अपरिहार्य हो गया था, किन्तु वास्तव में विभाजन अपरिहार्य नहीं था। कराची में प्रवेश करते समय जिन्ना ने अपने सहकारी (एडीसी) से कहा था, ''मैंने कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा होगा । मुझे आशा नहीं थी कि जीते-जी पाकिस्तान देख सकूंगा।'' जिन्ना के अनुयायियों के मनों में भी यह चिन्ता बढ़ने लगी थी कि भारत में रह जाने वाले मुसलमानों की क्या दुर्दशा होगी? डॉ. अम्बेडकर जैसे व्यक्ति ने कहा, ''हमारी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार यह तथ्य कि मुसलमान एक राष्ट्र हैं, राजनीतिक अलगाव को एक सुरक्षित और ठोस नीति बना देता है। दुर्भाग्यवश मुसलमान इस बात को नहीं समझते कि इस नीति के द्वारा मिस्टर जिन्ना ने उनका कितना अपकार किया है...।'' 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' ने भारतीय जनता को देशभक्तिपूर्ण आवाहन किया होता तो देश की अखण्डता बनाये रखने हेतु सर्वोच्च त्याग करने के लिये लाखों की संख्या में लोग आगे बढ़ते ।

किन्तु, कांग्रेस का नेतृत्व थक चुका था, जैसा कि पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1960 में लेओनार्ड मोस्ले को बताया था, ''सच्चाई यह है कि हम थक चुके थे और आयु भी अधिक हो गयी थी । हम में से कुछ ही लोग फिर से कारावास में जाने की बात कर सकते थे और यदि हम

अखण्ड भारत पर डटे रहते, जैसा कि हम चाहते थे, तो स्पष्ट है कि हमें कारागार में जाना ही पड़ता । हमने देखा कि पंजाब में आग भड़क रही है और सुना कि प्रतिदिन मार-काट हो रही है । बंटवारे की योजना ने एक मार्ग निकाला और हमने उसे स्वीकार कर लिया।'' श्री न.वि. गाडगिल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, ''देश की मुख्य राजनीतिक शक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और उसके नेता बूढ़े हो चले थे, थक चुके थे। ... वे रस्सी को इतना अधिक नहीं खींचना चाहते थे कि वह टूट जाये और किये-धरे पर पानी फिर जाये।''

कांग्रेस के नेतृत्व ने देश को निराश किया। विभाजन के पूर्व हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में बोलते समय गांधी जी ने कहा- 'मैं विभाजन का विरोधी हूँ, किन्तु आपको परामर्श देता हूँ कि इसे स्वीकार कर लें, क्योंकि आपके नेता इसे स्वीकार कर चुके हैं और हम इस समय इस स्थिति में नहीं है कि नेतृत्व को तुरन्त बदल सके। यदि मेरे पास समय होता तो क्या मैं इसका विरोध नहीं करता ? किन्तु मैं कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकता और उसके प्रति लोगों की आस्था नष्ट नहीं कर सकता । ऐसा मैं तभी करूँगा जब मैं उनसे कह सकूंगा, 'लीजिए, यह रहा वैकल्पिक नेतृत्व'। ऐसे विकल्प के निर्माण का मेरे पास समय नहीं रह गया है। .. अत:, इस कड़वी औषधि को मुझे पीना ही होगा...आज मुझमें वैसी शक्ति नहीं रही है, अन्यथा तो मैं अकेला ही विद्रोह की घोषणा कर देता।''

(हो.वे.शेषाद्रि की पुस्तक '... और देश बंट गया' में दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा लिखी पुरोवाच-प्राक्कथन से उद्धृत)

समाचार

सेवा भारती अजमेर द्वारा 'रूप सिंह घुमंतू छात्रावास' का शुभारंभ

किशनगढ़ में जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज ने घुमंतू छात्रावास के उद्घाटन समारोह के अवसर पर कहा कि घुमंतू समाज शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उस समाज के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करें, उन्हें पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण मिले, इस दिशा में संघ का प्रयास प्रशंसनीय है। उन्होंने छात्रावास को आर्थिक सहयोग और विद्यार्थियों के भोजन की व्यवस्था पीठ की ओर से करने की घोषणा की। उन्होंने इसका नाम बंजारा समाज के धर्म गुरु के नाम पर 'रूप सिंह घुमंतू समाज छात्रावास' रखा। न्यास के क्षेत्र प्रमुख श्री प्रभुलाल कालबेलिया ने बताया कि यह राजस्थान का 18वां और चित्तौड़ प्रांत का 5वां छात्रावास है। इससे पहले उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर घुमंतू समाज के छात्रावास प्रारंभ हो चुके हैं।

मुस्लिम देश अफगानिस्तान ने मोहर्रम पर लगाए कई प्रतिबंध

कहा- यह विदेशी परम्परा है, बंद किया अवकाश

क्या भारत में संभव है यह ?

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आदेश जारी कर मुहर्रम के अवसर पर सड़कों पर जुलूस निकालने, सड़कों पर छाती पीटने, खुद को चाकू-छुरियों से घायल करने, सार्वजनिक मातम मनाने आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

तालिबान के सूचना और सांस्कृतिक निदेशालय के प्रमुख अहमदुल्ला मुत्ताकी ने समारोह को विदेशी और राजनीतिक बताया है। इस अवसर पर अब तक होने वाले सार्वजनिक अवकाश को भी बंद कर दिया गया है।

नए तालिबानी निर्देशों के अनुसार अब मुहर्रम संबंधी आयोजन केवल शिया इलाकों में स्थित शिया मस्जिदों में या अधिकारियों द्वारा निर्देशित बंद स्थानों पर ही किए जा सकेंगे। आयोजन हेतु इन मस्जिदों में जाने के बाद दरवाजा बंद करना होगा ताकि समारोह का सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं हो सके। मुहर्रम पर मनाए जाने वाले मातम या शोक समारोह में कोई अन्य ऑडियो नहीं बजाया जा सकेगा। सार्वजनिक रूप से मुहर्रम संबंधी झंडे फहराने पर रोक रहेगी।

अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में रात में मुहर्रम संबंधी शोक मना रहे लोगों के झंडे तालिबानी लड़ाकों द्वारा फाड़ देने के समाचार हैं।

कुछ समय पूर्व एक अन्य मुस्लिम देश ताजिकिस्तान ने ईद पर सार्वजनिक रूप से मनाई जाने वाली कई परंपराओं को विदेशी मानकर प्रतिबंधित कर दिया था। बुर्का और हिजाब आदि पोशाक भी विदेशी मानकर प्रतिबंधित की जा चुकी हैं।

स्पष्ट है कि अब विश्व के कई देशों में राष्ट्रीयता के भाव प्रबल होते दिखाई दे रहे हैं तथा त्योहारों पर विदेशी परंपराएं बंद की जा रही हैं। विदेशी पहनावा, फिर भले ही वह उनके ही धर्म का क्यों न माना जाता रहा हो, उसे भी नकारा जाने लगा है।

भारत की सरकारों को तथा आम नागरिकों को भी अपने देश की दृष्टि से इन परिवर्तनों पर विचार करने की आवश्यकता है।

औरंगजेब ने मुहर्रम के ताजियों पर लगा दिया था प्रतिबंध

मुहर्रम वाले दिन इराक के कर्बला नामक स्थान पर मुस्लिम शासक यजीद और पैगम्बर मुहम्मद के नाती इमाम हुसैन के बीच लड़ाई हुई थी। यह उन दिनों की बात है जब पैगम्बर मुहम्मद का उत्तराधिकारी किसे माना जाए, इस पर स्वयं इस्लाम के मानने वालों में मतभेद चल रहे थे।

कहा जाता है कि एक मुस्लिम शासक यजीद स्वयं को पैगम्बर मुहम्मद का उत्तराधिकारी (जिसे खलीफा कहा जाता था) मान रहा था तथा चाहता था कि इमाम हुसैन भी उसे मान्यता दे। मुसलमानों के दूसरे गुट जिसे शिया कहा गया, इमाम हुसैन को पैगम्बर का उत्तराधिकारी मानते थे। इमाम हुसैन द्वारा यजीद की बात न मानने पर यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके साथियों व परिवारजनों को जिनकी संख्या 72 थी, कर्बला के मैदान में घेर कर यातनाएं देना शुरू कर दिया।

उनको पानी व भोजन से वंचित कर दिया। अंतत: इमाम हुसैन सहित सभी इस लड़ाई में मारे गए। इमाम हुसैन की इस शहादत पर शिया मुसलमान प्रतिवर्ष मातम मनाते हैं,अपने शरीर पर कोड़े या चाकुओं से घायल कर लहूलुहान करते हुए कहते हैं, 'या हुसैन, हम न हुए'।

मोहर्रम पर ताजिए निकालने की परंपरा विश्व में केवल 1947 पूर्व के अविभाजित भारत (अर्थात् भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश) में ही है। मुगल शासक औरंगजेब ने ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इराक के कर्बला में इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतिकृति जैसे ताजिए बनाए जाते हैं। इन तीनों देशों के मुस्लिम आबादी वाले लगभग सभी स्थानों पर 'कर्बला' नाम से कोई न कोई मैदान या जगह होती है। ताजिए वहां ले जाकर दफनाए जाते हैं या ठण्डा किए जाते हैं।

कई स्थानों पर अंधविश्वासी हिंदू भी इन ताजियों के नीचे से अपने बच्चों को निकालते दिखाई दे जाते हैं।

क्या केवल ओवैसी ने ही 'जय फिलिस्तीन' कहा?

षड्यंत्र दिखता है गहरा

केवल ओवैसी ने ही संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा नहीं लगाया, इस वर्ष भारत में मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाले जाने वाले जुलूस में लगभग सभी स्थानों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराने की जानकारी मिल रही है। क्या यह किसी सामूहिक योजना का परिणाम है?

बिहार में पश्चिम चंपारण, बेतिया, दरभंगा, नवादा, मोतिहारी, गया सहित अनेक स्थानों पर न केवल फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, वरन फिलिस्तीन के समर्थन में नारे भी लगाए गए। इस संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

झारखण्ड के जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे कई संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ऐसे अराष्ट्रीय तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस द्वारा लोगों के आक्रोश को देखते हुए सभी जगह कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बाद में थाने में इन सभी ने कान पकड़कर माफी मांगी।

मध्यप्रदेश के राजगढ़, खंडवा, आदि स्थानों से भी ऐसे ही समाचार आ रहे हैं, जहां शांति भंग करने और सौहार्द्र बिगाड़ने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।

उज्जैन व शिवपुरी में मुहर्रम के जुलूस में हनुमान चालीसा व भजन गायन के समाचार भी हैं जिनकी सहमति स्वयं ताजिए निकाल रहे लोगों ने दी। परन्तु दूसरी ओर **बारां** में ताजिए के जुलूस के दौरान मुसलमानों द्वारा प्राचीन गणेश मंदिर के शिखर का गुंबद तोड़ देने के समाचार हैं। घटना का पता लगने पर लोग सुबह एकत्रित होने लगे और धरने पर बैठ गए। आक्रोशित लोगों ने बारां बंद का आह्वान कर बाजार बंद करवा दिया। साथ ही चौमुखा बाजार मार्ग से मोहर्रम के जुलूस पर रोक लगाने की भी मांग की। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की अपील की।

शाहपुरा (भीलवाड़ा) जिले के कोटड़ी कस्बे में ताजिया का जुलूस निकालने के दौरान मुस्लिम समुदाय के युवाओं द्वारा भगवा पताकाओं व झंडियों को तोड़कर पैरों से रौंदने का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू समाज ने जुलूस निकाल कस्बे को बंद करवा कर थाने के बाहर प्रदर्शन किया और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की।

पिछले वर्षों की तुलना में एक परिवर्तन अवश्य दिखाई दे रहा है। अक्सर ऐसे अराजक गतिविधियों को अनदेखा किया जाता रहा है। परंतु अब इनके विरुद्ध समाज आवाज उठा रहा है तथा पुलिस व प्रशासन भी कार्रवाई करने लगा है।

इटली के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना भारी पड़ा

भारत में तो यह सामान्य बात है

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का मजाक उड़ाने के लिए वहां के एक न्यायालय ने एक पत्रकार पर 5 हजार यूरो (अर्थात् 4 लाख 71 हजार रुपए) का जुर्माना लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार गिउलिया कोर्टेस ने आज से तीन वर्ष पूर्व (2021 में) मेलोनी की कम लंबाई का मजाक उड़ाते हुए कहा था, '' तुम सिर्फ चार फीट की हो। इतनी छोटी कि मुझे दिखाई भी नहीं देती हो।'' (हालांकि मेलोनी की लंबाई 5.2 फीट के लगभग है)

इस मामले में उल्लेखनीय बात यह भी है कि पत्रकारों से जुड़ी एक संस्था- रिर्पोट्स विदाउट बॉडर्स (आरडब्ल्यूबी) ने इसे पत्रकारों का मुंह बंद करने की कोशिश बताया है।

यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, क्या वह कानून से ऊपर है? कहा तो यह जाता है कि स्वयं न्यायपालिका भी कानून से ऊपर नहीं है। मीडिया राजनैतिक नेताओं को आईना दिखाता रहे- यह आवश्यक है, परंतु किसी का व्यक्तिगत मजाक उड़ाना इसे क्यों मीडिया का अधिकार माना जाता है?

भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कितनी अपमानजनक टिप्पणियां की गई! 'मौत का सौदागर' तक कहा गया। 'सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों?, इस पर तो अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला भी सुना दिया था। लेकिन इस निर्णय को 'डरी हुई सत्ता' तथा 'आवाज दबाने की कोशिश' तक कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगा दी। काश! सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अंतिम निर्णय दे देता तो स्थिति स्पष्ट होती।

शायद सर्वोच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि राहुल गांधी ने अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी की। हाल ही में संसद में पूरे हिन्दू धर्मावलंबियों का अपमान करते हुए कहा कि जो अपने को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा करते रहते हैं- हिंसा, हिंसा, नफरत, नफरत। क्या कोई न्यायालय इनके संबंध में शीघ्र निर्णय देगा?

बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी

उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित और भगवान शिव की महिमा से सुशोभित काशी जिसे वाराणसी, बनारस भी कहा जाता है, विश्व का प्रथम नगर माना जाता है। बौद्ध जातक कथाओं के अनुसार काशी महाजनपद की यह राजधानी भारत के छह प्रमुख शहरों में सबसे भव्य थी। यह शहर अनेक विद्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण केन्द्र, विभिन्न पंथों, सम्प्रदायों का तीर्थ स्थल तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र होने की प्रतिष्ठा रखता है। यह शैव, शाक्त, बौद्ध और जैन संप्रदायों का तीर्थ स्थल है। यहां के काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग को बारह ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। काशी शक्तिपीठ भी है। 7 वें (सुपार्श्वनाथ) और 23वें (पार्श्वनाथ) जैन तीर्थंकर यहीं प्रकट हुए थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश काशी के निकट सारनाथ में दिया था। जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य ने यहीं से अपनी धार्मिक दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ की थी। किसी भी नये पंथ, विचार या कार्य की सफलता के लिए काशी से शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। संत कबीर, स्वामी रामानंद तथा गोस्वामी तुलसीदास जैसे अनेक महान विभूतियों, भक्तों, संत, कवियों, साहित्यकारों ने काशी को अपनी कर्मभूमि बनाया। यहां शास्त्र अध्ययन और शास्त्रार्थ की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। काशी के अस्सी घाट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बनारसी साड़ी यहां की एक विशेष पहचान हैं।

दिवस

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस : भारत ने 23 अगस्त, 2023 को अपने चन्द्रयान-3 विक्रम लैंडर को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतारा था। इस के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा हर साल 23 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है।

राष्ट्रीय खेल दिवस : 'हॉकी के जादूगर' मेजर ध्यानचन्द के जन्मदिवस को समर्पित यह दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया।

प्लास्टिक डिब्बों में स्टोर न करें खाने-पीने की वस्तुएं

नॉर्वे की 'साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी' के द्वारा प्लास्टिक कंटेनर में रखे 36 खाद्य पदार्थों पर किए गए एक शोध में पता चला है कि स्टोर करने के दौरान इन खाद्य पदार्थों से 10 हजार तरह के जहरीले केमिकल निकलते हैं, जो शरीर के हार्मोन और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, साथ ही ये केमिकल हमारी पाचन शक्ति को भी कमजोर करते हैं।

घरेलू नुस्खा

पेट और बीपी को ठीक करने के लिए एक चम्मच धनिया और एक चम्मच सौंफ दोनों को कूटकर रात को भिगो दें। सुबह एक कप पानी में उबालकर व छानकर पी लें, इससे पाचन व बीपी ठीक रहता है।

कुकिंग / किचन टिप्स

- पानी में नींबू और गुलाब जल की कुछ बूंदे मिलाकर किचन स्लैब साफ करें। इससे स्लैब की सफाई तो हो ही जायेगी साथ ही आपका रसोईघर खुशबू से महक उठेगा।

आओ संस्कृत सीखें-41

- मैं संस्कृत में वार्तालाप करता हूँ।
- **अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि।**

गीता- दर्शन

दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्।।

श्रीकृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन! दम्भ, घमण्ड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान - ये सब आसुरी सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। (16/4)

लुप्त संख्या ज्ञात करो

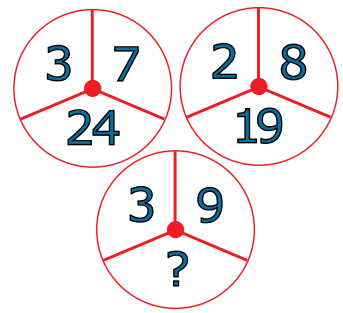

उत्तर 3x9 =27+3=30

जांचें कि आप कितने ज्ञानवान है?

नीचे दिए गए 10 प्रश्नों के उत्तर बताइए। अपना ज्ञान स्तर निम्नानुसार मानें- **सामान्य**- यदि आप 5 प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। **श्रेष्ठ** - यदि 8 प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। **उत्तम**- यदि सभी उत्तर सही देते हैं।

1. 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है?
2. हाल ही आये चक्रवात 'रेमल' को किस देश द्वारा नामित किया गया है?
3. माउंट एवरेस्ट (सागरमाथा) को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज पर्वतारोही महिला ज्योति रात्रे किस प्रदेश से हैं?
4. भारतीय मूल के किस खगोल वैज्ञानिक को 'शॉ' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
5. इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई?
6. जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी?
7. 'इंडिका' पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है?
8. शरद महोत्सव राजस्थान के किस स्थान पर मनाया जाता है?
9. राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है?
10. 14वीं शताब्दी में निर्मित प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है?

उत्तर इसी अंक में...

कथा

हकदार

समय के साथ वृद्ध हो चले अमरसेन ने अब तक की संग्रहित संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाये, यह निर्णय लेने के लिए चारों बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाकर एक-एक करके गेहूँ के कुछ दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, चार साल बाद लौटूंगा। जो भी इन दानों की सही हिफाजत से मुझे लौटाएगा, मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। पहले बेटे-बहु ने सोचा, पिताजी सठिया गये हैं, चार साल तक कौन याद रखता है। हम तो बड़े हैं, धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूँ के दाने फेंक दिये।

दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है। यदि हम इन्हे खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दें। यह सोचकर उन्होंने वो दाने खा लिये।

तीसरे ने सोचा हम रोज मंदिर में जैसे ठाकुरजी को सँभालते हैं, वैसे ही यह भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे।

चौथे बहु-बेटे ने दानों को एक-एक कर के जमीन में बो दिया और देखते-देखते उनमें कुछ गेहूँ उग आये। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूँ की बढ़ोतरी होती गई। दाने, पाँच बोरी, पच्चीस बोरी और पचास बोरियों में बदल गए।

चार साल बाद जब अमरसेन वापस आए तो एक-एक कर तीनों की कहानी सुनी और जब वह चौथे बहु-बेटे के पास गये तो बेटा बोला, ''पिताजी, आपने जो दाने दिए थे अब वे गेहूँ की पचास बोरियों में बदल चुके हैं, हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका हक है।''

मेरी सम्पत्ति के असली हकदार तुम ही हो यह कहते हुए अमरसेन ने तिजोरी की चाबियाँ उन्हें सौंप दी।

वर्ग पहेली

12 राशियाँ खोजिए

सिं	मि	तु	कुं	भ
ह	थु	ला	ध	वृ
मी	न	म	नु	क
वृ	श्चि	क	न्या	ध
मे	ष	र	र्क	म

उत्तर : मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन

बाल प्रश्नोत्तरी - 60

जीतें पुरस्कार अब दूसरी और तीसरी बार भी

बाल मित्रों, 16 जून का अंक पढ़ने के पश्चात् निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अपने उत्तर 'उत्तर शीट' में भरकर 7976582011 पर वॉट्सएप करें। प्रथम 10 को प्रमाण-पत्र तथा प्रथम 5 को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में 6 से 17 वर्ष तक के बाल-किशोर ही भाग ले सकते हैं। लगातार 5 बार उत्तर सही पाए जाने पर विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तर भेजने की अंतिम तिथि - **20 अगस्त, 2024**

1. सक्षम का राष्ट्रीय त्रैवार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ?
(क) पुणे (ख) मुम्बई (ग) कोल्हापुर (घ) नागपुर

2. लोकमाता अहिल्याबाई त्रिशताब्दी समारोह का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ?
(क) भोपाल (ख) इंदौर (ग) उज्जैन (घ) जबलपुर

3. सहृदयलोक लोचन काव्य किस रचनाकार की कृति है?
(क) मथुरानाथ शास्त्री (ख) कालिदास (ग) आचार्य आंनदवर्धन (घ) अभिनव गुप्त

4. नीति कथाओं पर आधारित 'पंचतंत्र' का कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है?
(क) चालीस (ख) तीस (ग) बीस (घ) पचास

5. महेश्वर का साड़ी उद्योग किस कुशल महिला शासक की देन है?
(क) अहिल्याबाई (ख) अरुंधति (ग) दुर्गावती (घ) कर्णावती

6. राजस्थान के किस स्थान पर जेहादियों द्वारा संघ कार्यकर्ता की हत्या की गई?
(क) जोधपुर (ख) कोटा (ग) उदयपुर (घ) जयपुर

7. फिल्म 'हमारे बारह' में अभिनेता का मुख्य किरदार किसने निभाया है?
(क) अनिल कपूर (ख) रजत कपूर (ग) अन्नु कपूर (घ) अर्जुन कपूर

8. सुंदरकाण्ड की कितनी प्रतियां गीता प्रेस प्रतिमाह विदेश भेज रहा है?
(क) तीस हजार (ख) पच्चीस हजार (ग) सत्तर हजार (घ) पचास हजार

9. राष्ट्र सेविका समिति की वर्तमान में कितनी शाखाएं देशभर में संचालित हैं?
(क) पांच हजार (ख) दो हजार (ग) तीन हजार (घ) सात हजार

10. विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
(क) 11 जुलाई (ख) 10 जुलाई (ग) 15 जुलाई (घ) 20 जुलाई

समीकरण हल कीजिए

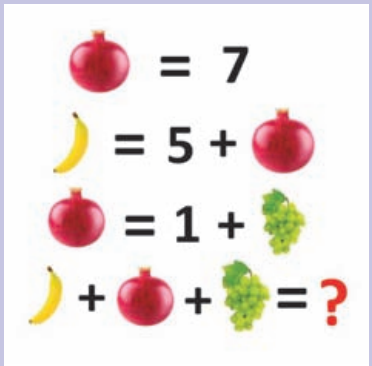

उत्तर : 12+7+6 = 25

बाल प्रश्नोत्तरी-58 के परिणाम

जयेश लक्ष्य उत्कर्ष अश्विन कृपा

1. जयेश तेली, कालका माता रोड, उदयपुर
2. लक्ष्य अग्रवाल, गोपालपुरा ,जयपुर
3. उत्कर्ष शर्मा, विज्ञान नगर कोटा
4. अश्विन गोयल, प्रताप नगर, जयपुर
5. कृपा सैनी, रतन नगर, सीकर
6. तन्मय सिंह राठौड़, मेड़ता, नागौर
7. संस्कृति कालरा, प्रताप नगर, उदयपुर
8. करन आचार्य, केकड़ी
9. प्रतीक सैनी, पिलानी, झुंझुनू
10. गरिमा अरोड़ा,अनूपगढ, श्रीगंगानगर

सही उत्तर
1. (ग)
2. (क)
3. (ख)
4. (क)
5. (ग)
6. (ख)
7. (घ)
8. (ग)
9. (क)
10. (ख)

निम्नांकित उत्तर शीट भरकर इसी की फोटो वॉट्सएप करें। (बाल प्रश्नोत्तरी - 60)
(अपनी पासपोर्ट फोटो अवश्य वॉट्सएप करें)

1.( ) 2.( )3.( )4.( ) 5.( )6. ( )7.( )8.( ) 9.( )10.( )

नाम.....कक्षा.....पिता का नाम.....

उम्र..... पूर्ण पता.....

.....पिन.....मोबाइल.....

आत्मज्ञानी पूज्य दीपकभाई जयपुर में

प्रश्नोत्तरी सत्संग और ज्ञानविधि का होगा आयोजन

भारत के आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री अंबालाल मूलजी भाई पटेल जो आगे चलकर 'दादा भगवान' के नाम से विख्यात हुए, ने एक आध्यात्मिक आंदोलन 'दादा भगवान' की शुरुआत की जिसे 'अक्रम विज्ञान आंदोलन' कहा गया। यह आंदोलन गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र और दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों तक फैला। अंहिसा और शाकाहार दादा की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

20 से 22 अगस्त 2024, बिड़ला ऑडिटोरियम

बिड़ला ऑडिटोरियम में 20 व 21 अगस्त को सायं 5:30 से 8:30 तक प्रश्नोत्तरी सत्संग कार्यक्रम रहेगा। जिसमें अध्यात्म संबंधित प्रश्नों का समाधान 'दादा भगवान' से प्राप्त होगा तथा 22 अगस्त को सायं 5 से 8:30 तक भेद विज्ञान प्रयोग 'ज्ञानविधि' का आयोजन होगा जो आत्म साक्षात्कार से संबंधित हैं। कार्यक्रम नि:शुल्क है। सभी धर्म/संप्रदाय के लोग इसमें भाग ले सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट
WWW. dadabhagwan.org
पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उत्तर : जांचें कि आप कितने ज्ञानवान है? 1. महावीर स्वामी 2. ओमान 3. मध्यप्रदेश 4. प्रो.श्रीनिवास आर.कुलकर्णी 5. ईरान 6. विद्याधर भट्टाचार्य 7. मेगस्थनीज 8. माउण्ट आबू 9. कालबेलिया 10. पुष्कर (अजमेर)

आगामी पक्ष के विशेष अवसर (16 से 31 अगस्त, 2024)
(श्रावण शु.11 से भाद्रपद कृ.13 तक)

जन्म दिवस
18 अगस्त (1700)- पेशवा बाजीराव जयंती
20 अगस्त (1854)- नारायण गुरु जयंती
भाद्रपद कृ.8(26 अगस्त)- भगवान जम्भेश्वर जयंती
भाद्रपद कृ.8 (26 अगस्त)- संत ज्ञानेश्वर जयंती
28 अगस्त (1903)- बाबा साहब आप्टे जयंती
29 अगस्त (1905)- मेजर ध्यानचंद जयंती

बलिदान दिवस/पुण्यतिथि
16 अगस्त (2018)- अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि
17 अगस्त (1849)- वजीर रामसिंह पठानिया का बलिदान
17 अगस्त (2007)- दशरथ मांझी की पुण्यतिथि
17 अगस्त (1909)- मदन लाल धींगरा का बलिदान
20 अगस्त (2004)- इतिहासकार गंगाराम सम्राट की पुण्यतिथि
23 अगस्त (1573)-पुर्तगालियों से लड़ते हुए अबक्का का बलिदान

महत्वपूर्ण घटनाएं / अवसर
17 अगस्त (1666)- महाराजा शिवाजी की आगरा से मुक्ति
23 अगस्त 2023- राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
25 अगस्त (1303)- चित्तौड़ का पहला साका

सांस्कृतिक पर्व/त्योहार
श्रावण पूर्णिमा (19 अगस्त) - रक्षाबंधन
भाद्रपद कृ.8(26 अगस्त) - श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
भाद्रपद कृ.9 (27 अगस्त) - श्री गोगा नवमी

क्या यह स्वाधीन भारत है? धोती पहने किसान को 'मॉल' में प्रवेश से रोका

सुनते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में, जब भारत पराधीन था, तब कई क्लब, होटल आदि में भारतीयों, विशेषकर धोती पहनकर जाने वाले भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। परंतु आज तो देश को स्वाधीनता मिले 75 वर्ष हो गए। गत 18 जुलाई को कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु शहर के प्रसिद्ध जीटी मॉल में एक किसान को इसलिए प्रवेश से रोक दिया गया कि वह धोती पहने था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने घटना के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की तथा विरोध किया।

इसे देखते हुए मॉल को सात दिन तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं तथा मॉल के प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया बताया जा रहा है।

पंचांग- श्रावण (शुक्ल पक्ष) 5 से 19 अगस्त, 2024 तक

चतुर्थी व्रत-8 अगस्त, **पवित्रा एकादशी व्रत**- 16 अगस्त, **शनि प्रदोष व्रत**- 17 अगस्त, **सत्यपूर्णिमा व्रत अमरनाथ यात्रा पूर्ण**- 19 अगस्त, **पंचक प्रारम्भ**- 19 अगस्त, (सायं 7 बजे से)

ग्रह स्थिति – **चन्द्रमा :** 5 अगस्त को स्वराशि **कर्क** में, 6-7 अगस्त को **सिंह** राशि में, 8 से 10 अगस्त **कन्या** राशि में, 11-12 अगस्त को **तुला** राशि में, 13 से 15 अगस्त नीच की राशि **वृश्चिक** में, 16-17 अगस्त को **धनु** राशि में, 18-19 अगस्त को **मकर** राशि में गोचर करेंगे।

श्रावण शुक्ल पक्ष में **गुरु** व वक्री **शनि** यथावत वृष व कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। इसी प्रकार **राहु** व **केतु** भी क्रमश: मीन व कन्या राशि में स्थित रहेंगे। **बुध** वृष राशि में रहते हुए 5 अगस्त प्रात: 10: 25 बजे वक्री होंगे। **शुक्र** यथावत सिंह राशि में व **मंगल** भी यथावत वृष राशि में स्थित रहेंगे। **सूर्य**- 16 अगस्त को कर्क से सिंह राशि में सायं 7:44 बजे प्रवेश करेंगे।

स्वराज्य संस्थापक

छत्रपति शिवाजी

16

आलेख एवं चित्र
ब्रजराज राजावत

शिवाजी को सफलता मिल रही थी उसी दौरान उनके मार्गदर्शक दादा कोण्डदेव का निधन हो गया.. उन पर शासन की सारी जिम्मेदारी आ गई। शीघ्र ही अनुभवी सामन्तों का नया मण्डल राज कार्य सम्भालने लगा जिनमें श्याम राजपंत पेशवा, पंतजी व सोनोपंत प्रमुख थे।

युद्ध की रणनीति व विजय के लिए बाजी पासलकर, नेताजी, तानाजी और येसाजी जैसे श्रेष्ठ वीर सदैव तत्पर रहते थे...

स्वराज्य' के योद्धाओं ने शीघ्रता से सिंहगढ़ को अपने अधिकार में कर लिया

बीजापुर सुल्तान का धैर्य जवाब दे गया... फतेह खां सरदार के नेतृत्व में बड़ी सेना 'स्वराज्य' को कुचलने भेजी गयी...

बीजापुर की सेना ने शिरवाल तथा सुभानमंगल दुर्ग पर अधिकार कर लिया...'शिवाजी' के लड़ाकों ने प्रतिकार किया, भीषण युद्ध हुआ... दुर्ग पुन: शिवाजी के अधिकार में आ गया।.... आदिलशाही सेना भाग खड़ी हुई। .... शिवाजी को वीर बालाजी को युद्ध में खोना पड़ा।

क्रमश:

पाक्षिक
पाथेय कण
(1-15 अगस्त,2024)
(26 जुलाई को प्रकाशित, पृष्ठ 20)

आर.एन.आई पंजीयन क्र. 48760/87
डाक पंजीयन संख्या JAIPUR CITY 202/2024-26

अग्रिम शुल्क बिना प्रेषण की अनुमति लाइसेंस संख्या
JAIPUR CITY/WPP 01/2024-26

RAS- 2021
में 750+
Selections

Springboard
ACADEMY
AN INSTITUTE FOR IAS & RAS

RAS Foundation Batch

Online & Offline

23 जुलाई से बैच प्रारम्भ

Exclusive Live Batch from Classroom

IAS
Foundation Batch
नया बैच प्रारम्भ

IAS/RAS
3 Years Integrated Course After 12th Pass
नया बैच प्रारम्भ

RAS Pre/ PSI
नया बैच प्रारम्भ

Riddhi - Siddhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
9636977490, 0141-3555948

ऐप डाउनलोड करने के लिए
QR Code स्कैन करें
GET IT ON Google Play

Connect with us- Springboard Academy Online Springboard Academy Jaipur

स्प्रिंगबोर्ड एकेडमी के IAS, RAS हेतु प्रमाणित क्लास नोट्स उपलब्ध The Notes Hub 7610010054, 7300134518

स्वत्वाधिकारी पाथेय कण संस्थान के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक माणकचन्द
द्वारा कुमार एण्ड कम्पनी, ए-10, 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर से मुद्रित
प्रकाशकीय कार्यालय : पाथेय भवन, 4 मालवीय संस्थानिक क्षेत्र, मालवीय नगर, जयपुर-302017
सम्पादक- रामस्वरूप अग्रवाल
प्रेषण दिनांक 1,2,3,4 व 5 अगस्त, 2024 आर.एम.एस.(पी.एस.ओ.) जयपुर

प्रतिष्ठा में,